



टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 25(1)/सवि/2021/ 553

दिनांक: 14.08.2024

परिपत्र

विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने एवं अनुपालन बोझ को कम करने के प्रयास में, टी बोर्ड ने चाय अधिनियम एवं नियंत्रण आदेशों के तहत अनुज्ञापन/पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने को सरल बनाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल 28 जुलाई, 2021 से कुछ अनुज्ञापनों, जैसे निर्यातक, चाय अपशिष्ट एवं चाय भंडार अनुज्ञापन के लिए स्वतः नवीनीकरण की शुरुआत थी।

उपर्युक्त अनुज्ञापनों के स्वतः नवीनीकरण के सफल कार्यान्वयन के उपरान्त, बोर्ड अब इस पहल के अगले चरण की ओर अग्रसर है। इस संबंध में, बोर्ड ने 13 अगस्त, 2024 से चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के तहत नीलामी आयोजक अनुज्ञापन एवं ब्रोकर अनुज्ञापन के नवीनीकरण की प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है। इस प्रक्रिया में, पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त अनुज्ञापन स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाएंगे, जिससे अतिरिक्त कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

अनुज्ञापनों के स्वतः नवीकरण की मुख्य प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

- अनुज्ञापन की समाप्ति तिथि से 30 दिन पहले ऑनलाइन पोर्टल (egiccs.teaboard.gov.in) पर एक सजग संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। यह संदेश अनुज्ञापन धारक को मौजूदा नीलामी आयोजक या ब्रोकर अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से लागू नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा।
- अनुज्ञापन धारक को पोर्टल के माध्यम से अनुज्ञापन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अनुज्ञापन शुल्क प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन समाप्ति तिथि से स्वतः ही नवीनीकृत हो जाएगा। नवीनीकृत अनुज्ञापन की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति शीघ्र ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

पृष्ठ-2 पर जारी

- यदि आवेदक अनुज्ञापन की वैधता के दौरान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुज्ञापन शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा एवं उसे पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि आवश्यक हो तो आवेदक नए अनुज्ञापन के लिए आवेदन कर सकता है।

इस परिपत्र की विषय-वस्तु को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए।

यह मुद्रा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ।

रजनीगंधा शील नस्कर

(रजनीगंधा शील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1. सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक
2. चाय नीलामीकर्ता संघ
3. कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर एवं गुवाहाटी---कृपया सूचनार्थ
4. सिस्टम विश्लेषक - बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु